सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 24 दिसंबर 2018 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादेमी (इनसा) के बैठक कक्ष में आयोजित **वित्त समिति** की 21वीं बैठक का **कार्यवृत्त**

उपस्थित सदस्य :

1. प्रोफेसर ए. खरे, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. डी.आर.अगरवाल [कोर्ट द्वारा नामित]	सदस्य
3. प्रो. डी.पी. सरकार [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
4. प्रो. एन.के.पासवान [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
5. श्रीमती दर्शना एम. डबराल [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य (श्री फजल मदमूद, उपसचिव (आईएफ़डी),एमएचआरडी द्वारा प्रतिनिधित्व
6. डॉ. जितेंद्र के. त्रिपाठी [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
7. श्री देवाशीष पाल [वित्त अधिकारी]	सचिव

प्रो. प्रमोद टंडन, सदस्य [ईसी द्वारा नामित] ने बैठक में उपस्थित होने के लिए असमर्थता व्यक्त की, चूंकि वे जनवरी 2019 के अंत तक देश से बाहर रहेंगे। इसी प्रकार, श्री जी.सी.होसुर, संयुक्त सचिव (के.वि) ने टेलीफोन में सूचित किया कि मंत्रालय में **अत्यधिक** कार्य के कारण न वे और न ही उप सचिव (केवि) बैठक में उपस्थित हो सकेंगे।

बैठक के लिए कोरम पूरा हो चुका है, अध्यक्ष ने बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की। **अध्यक्ष** ने एमएचआरडी, यूजीसी के विजिटर प्रत्याशी तथा **कार्यकारिणी** परिषद द्वार नामित सदस्यों को खडा पहनाकर **स्वागत** किया।

बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष इस अति महत्वपूर्ण बैठक के बारे संक्षेप में बताया :

1. विश्वविद्यालय ने तीन भवन, **परिधीय** सड़क आदि परिसर निर्माण का कार्य शुरू कर **दिया** है जिसे यूजीसी की बरहवीं योजना आवंटन में से रु. 106.45 करोड़ के कुल कार्य ऑर्डर मूल्य के लिए मेसर्स एनसीसी लिमिटेड को दिया गया है। तदनुसार, तीन भवन (संरचनात्मक कार्य केवल) को पूरा करने के लिए बारहवीं योजना के पूंजीगत **परिसंपत्ति** (35) के तहत मंजूर रु. 180 करोड़ में से शेष राशि रु. 60.22 करोड़ राशि को रिलीज करने के लिए विश्वविद्यालय ने यूजीसी को पुन: निवेदन **किया** है।
2. विश्वविद्यालय ने परिसर **निर्माण** के अगले भाग के लिए निधि मंजूर करने के लिए एमएचआरडी/यूजीसी को निवेदन किया है। माननीय कुलपति मे इस मुद्दे पर सचिव (उच्चतर शिक्षा) और संयुक्त सचिव

   (केवि) के साथ चर्चा की है। एमएचआरडी के निर्देश के अनुसार प्रस्ताव को **उच्चतर** शिक्षा वित्तपोषित एजेंसी (हेफा) के माध्यम से एमएचआरडी को दिनांक 31 दिसंबर 2018 के अंदर जमा किया जाना चाहिए और प्रस्ताव रु. 100 करोड़ की राशि के अंदर होना चाहिए।

समिति ने इसके बाद एक के बाद एक एजेंडा मदों पर चर्चा की।

खंड -1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एफ़सी 21.1.1: दिनांक 22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

दिनांक 22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 3 दिसंबर 2018 को सभी सदस्यों को भेजा गया था। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गयी।

एफ़सी 21.1.2: दिनांक 22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर ली गयी कार्रवाई पर रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 22 नवंबर 2018 को आयोजित वित्त समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर ली गयी कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई को नोट किया।

खंड -2

सूचनात्मक विषय

एफ़सी 21.2.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियाँ -35 मद के अंतर्गत विश्वविद्यालय के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रस्तुति

समिति ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियाँ -35 मद के अंतर्गत विश्वविद्यालय के उपयोगिता प्रमाणपत्र को दिनांक 18.12.2018 के पत्र सं SU/2017/Fin-02/SU BUDGET 2017-18/3305/1582 द्वारा यूजीसी को प्रस्तुत किया गया है।

इस वर्ष के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत व्यय पुस्तकों एवं जर्नल तथा अन्य संरचनात्मक व्यय के लिए कुल आवंटित राशि रु. 3.00 करोड़ के बिपरित रु. 2.81 करोड़ (भवनों के निर्माण को छोड़कर) था। किन्तु यूजीसी द्वारा कोई भी अनुदान रिलीज नहीं किया गया है। यूजीसी को वर्ष 2017-18 के लिए चालू वर्ष में में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के साथ ताल-मेल बिताने के लिए अनुदान रिलीज करने हेतु निवेदन किया जाएँ।

एफ़सी 21.2.2: बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत दिनांक 30.11.2018 के अनुसार निधि की उपयोगिता तथा 2017-18 के दौरान निधियों की उपयोगिता (वार्षिक आवंटक, लेखा परीक्षित) और 2018-19 (वार्षिक आवंटन) पर सूचना

समिति ने बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत दिनांक 30.11.2018 के अनुसार निधि की उपयोगिता की स्थिति को नोट किया।

विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी को दिनांक 20.12.2019 को भेजे पत्र सं SU/FIN/F-3/2018/01-Vol-III/UGC Unspent Balance 2018-19/1590 2017-18 के द्वारा प्रस्तुत 2017-18 के दौरान निधि की उपयोगिता तथा 2018-19 (वार्षिक आवंटन) को भी नोट किया।

एफ़सी 21.2.2: दिनांक 30 नवंबर 2018 को यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में भवन परियोजना के लिए बारहवीं योजना व्यय

सचिव ने चल रहे परिसर निर्माण कार्य (चरण-1 के पैकेज-1) के लिए दिनांक 30 नवंबर 2018 तक विस्तृत वित्तीय प्रगति और प्रत्यक्ष प्रगति पर प्रस्तुति दी। समिति ने चल रहे परिसर निर्माण कार्य (चरण-1 के पैकेज-1) के लिए दिनांक 30 नवंबर 2018 तक विस्तृत वित्तीय प्रगति और प्रत्यक्ष प्रगति को नोट किया। इसके अलावा एमएचआरडी और यूजीसी के सदस्यों ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को निर्माण कार्य शीघ्र करने तथा तीन भवनों को पूरा करने तथा यथासंभव शीघ्र उसे तैयार करना चाहिए।

खंड - 3

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

एफ़सी 21.3.1: परिसर निर्माण के अगले भाग के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषित एजेंसी (हेफा) के अधीन निधि के लिए प्रस्ताव

इस एजेंडा मद पर सदस्यों ने गंभीर चर्चा की। समिति ने चल रहे तीन भवनों में सिविल और विद्युतीय कार्य पूरा करने सहित रु. 98.13 करोड़ रुपये के हेफा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभी सदस्य ने सर्वसम्मति से सिफ़ारिश की है।

एमएचआरडी और यूजीएस के सदस्यों ने व्यय वित्त समिति (ईएफ़सी) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सिफ़ारिश हेतु एमएचआरडी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पूरे परिसर की डीपीआर तैयार करने हेतु सुझाव दिया।

सदस्यों ने अगली बैठक में चल रहे निर्माण कार्य के गैर-फिनिशिंग कार्य पर सूचना प्रदान करने के लिए भी सुझाव दिया।

एफ़सी 21.3.1 कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा की प्रतिपूर्ति के लिए सेंट्रल रेफेरल हॉस्पिटल, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय का सूचीबद्धकरण

समिति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को मौजूदा सीएस (एमए) नियम, 2015 का पालन करना चाहिए और नगदीरहित चिकित्सा उपचार सुविधा पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

हस्ता./-
(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी एवं सचिव
वित्त समिति